न्यायालय :- अपर सत्र न्यायाधीश गोहद जिला भिण्ड मध्य-प्रदेश

प्रकरण क्रमांक 413 / 2015 सत्रवाद संस्थिति दिनांक 08-12-2015 मध्य प्रदेश शासन द्वारा आरक्षी केन्द्र

एण्डोरी जिला भिण्ड म०प्र० ।----अभियोजन

बनाम

- सतेन्द्रसिंह पुत्र मंगलसिंह तोमर, उम्र 30 वर्ष।
- टिल्लू उर्फ पिल्लू सिंह तोमर पुत्र कल्ले उर्फ कल्यानसिंह तोमर. उम्र 22 वर्ष।
- नीलेश उर्फ बलवीर सिंह तोमर पुत्र रामनारायण सिंह तोमर, उम्र 37 वर्ष।
- ATTEMPTED PRESIDENCE 2. संजय सिंह उर्फ संजू सिंह तोमर पुत्र सोवरन सिंह तोमर, उम्र 32 वर्ष। समस्त निवासी ग्राम खनेता थाना एण्डोरी, जिला भिण्ड म०प्र0

न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी गोहद श्री गोपेश गर्ग के न्यायालय के मूल आपराधिक प्र०क० ९१९ / २०१५ इ०फौ० से उदभूत यह सत्र प्रकरण क0 413/2015

शासन द्वारा अपर लोक अभियोजक श्री दीवान सिंह गुर्जर। अभियुक्त संजय उर्फ संजू द्वारा श्री के०पी० राठौर अधिवक्ता। शेष अभियुक्तगण द्वारा श्री यजवेन्द्र श्रीवास्तव अधिवक्ता।

//दोषम्कित आदेश अंतर्गत धारा 232 द.प्र.स.//

//आज दिनांक 20-02-2017 को पारित किया गया//

आरोपीगण टिल्लू उर्फ पिल्लू नीलेश उर्फ बलवीर एवं संजय उर्फ संजू का 01. विचारण धारा १४७, ३२५(दो काउंट) बिकल्प में ३२५ / १४९(दो काउंट), ३२३(दो काउंट) बिकल्प में 323 / 149(दो काउंट), 435, 506 भाग-2 भा द वि के आरोप के संबंध में किया जा रहा है। जबिक आरोपी सतेन्द्र सिंह का विचारण धारा 354(ख), 435 147, 325(दो काउंट) बिकल्प में 325 / 149(दो काउंट), 323(दो काउंट) बिकल्प में 323 / 149(दो काउंट), 506 भाग-2

भा0दं0वि0 के आरोप के संबंध में किया जा रहा है। आरोपी सतेन्द्र पर आरोप है कि दिनांक 20.03.2014 के शाम 06:30 बे या उसके करीब ग्राम छरेंटा थाना एण्डोरी में फूलसिंह के कुँए के पास खेत में पीडिता जो कि नावालिंग स्त्री है उसकी लज्जा शीलता भंग करने के आशय से आपराधिक बल का प्रयोग किया। आरोपी सतेन्द्र सहित अन्य सभी आरोपीगण पर आरोप है कि उपरोक्त दिनांक समय स्थान पर सहआरोपीगण के साथ मिलकर विधि विरूद्ध जमाव का गठन किया जिसका सामान्य उद्देश्य पांचो बाई, शीला, रामजीलाल, माखन पर वल व हिंसा का प्रयोग करने का था जिसके अग्रसरण में वल व हिंसा का प्रयोग कर बलवा कारित किया। उन पर यह भी आरोप है कि उपरोक्त दिनांक समय स्थान पर आहत रामजीलाल, माखन को मारपीट कर स्वेच्छया गंभीर उपहति कारित एवं बैकल्पिक रूप से उन पर यह भी आरोप है कि सहआरोपीगण के साथ मिलकर आहत रामजीलाल एवं माखन को मारपीट करने का सामान्य आशय निर्मित किया जिसके अग्रसरण में उक्त आहतों की मारपीट कर स्वेच्छया गंभीर उपहति कारित की। उन पर यह भी आरोप है कि उपरोक्त दिनांक समय स्थान पर आहत पांचो बाई, शीला को मरपीट कर स्वेच्छया साधारण उपहति कारित की। बैकल्पिक रूप से यह भी आरोप है कि अन्य सहआरोपीगण के साथ मिलकर आहत पांचो बाई एवं शीला को मारपीट करने का सामान्य आशय निर्मित किया और उसके अग्ररण में कार्य करते हुए आहत पांचोबाई और शीला की मारपीट कर स्वेच्छया साधारण उपहति कारित की। उन पर यह भी आरोप है कि उपरोक्त दिनांक समय स्थान पर पीडित विजयसिंह के छप्पर जो कि सम्पत्ति की रक्षा हेत् उपयोग में लिया जाता है उसमें आग लगाकर रिष्टि कारित की उन पर यह भी आरोप है कि उपरोक्त दिनांक समय स्थान पर फरियादी / आहतगण को संत्राश कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्राश कारित किया।

02. अभियोजन प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार से रहा है कि दिनांक 20.03.2015 को ग्राम छरेंटा निवासी अखलेश कुशवाह के द्वारा आहता श्रीमती शीला बाई, पांचोबाई, माखन, रामजीलाल के उपस्थित थाना आकर रिपोर्ट की कि उसका घर उसके खेत में बना है जहाँ से होकर आम रास्ता रोड पर गया है। शाम करीब 06:30 बजे लगभग उसकी भाभी मिथलेश, रेनू घर के पीछे लेट्रिन कर रही थी। तभी तीन लडके मोटरसाइकिल से आए और मोटरसाइकिल खड़ी कर एक लडका उसकी भाभी रेनू की तरफ गया तो उसने खड़ी होकर कहा कि क्या बात है और दोनों दौडकर घर की तरफ आई और घटना के बारे में उसे बताया। उसके चिल्लाने एवं मोहल्ले के लोगों को देखकर वह लोग मोटरसाइकिल क्रमांक जे.जी. 18 ए.ई 5563 को छोड़कर भाग गए। करीब सात बजे एक गाड़ी क्रमांक एम.पी. 30 जे. 0449 से

नीलेश तोमर, सतेन्द्रसिंह तोमर, संजू तोमर व टिल्लू तोमर तथा दो तीन अन्य लोग एक राय होकर और मारपीट करने लगे। नीलेश ने रामजी कुशवाह को धक्का दिया जिससे पास में फूलसिंह का अंधा कुँआ था जिसमें रामजीला गिर गया जिससे उससे हाथ पैरों में चोटें आई। वहीं पर खडी पांचों बाई को संजू ने डंडा मारा एवं शीला बाई जो कि अपने दरवाजे पर खडी थी उसे टिल्लू ने कमर में पीछे से डंडा मारा मूदी चोटें आई। उनके चिल्लाने पर साथ आए अन्य लोगों ने कट्टों से हबाई फायर किया जिससे वह लोग भयभीत हो गए और तभी सतेन्द्रसिंह ने विजयसिंह के छप्पर में आग लगा दी जिससे छप्पर जल गया। तभी गांव के लोग इकठ्ठे हो गए तो उक्त सभी लोग मादरचोद बहनचोद की गालियाँ देते हुए जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गए। फरियादी की उक्त रिपोर्ट पर से थाना एण्डोरी में अप०क० २७ / २०१५ धारा १४७, २९४, ३२३, ३३६, ४३५, ५०६बी भा द वि का पंजीबद्ध किया गया। आहतगण का मेडीकल परीक्षण एवं एक्सरे परीक्षण कराया गया जिस पर से 325 भा0दं०वि० का इजाफा किया गया। घटनास्थल का नक्शामौका बनाया गया, साक्षियों के कथन लेखबद्ध किए गुर जिस पर से धारा 354 भा०दं०वि० का इजाफा किया गया। आरोपीगण को गिरफ्तार किया गया तथा मोटरसाइकिल हीरो होण्डा कमांक जी०जे० 18 ए.ई. 5563 एवं एक गाडी क्लूजर तूफान नम्बर एम.पी. 30 टी. 0449 को जप्त किया गया। सम्पूर्ण विवेचना उपरांत विचारण हेतु अभियोगपत्र न्यायालय में पेश किया गया जो कि कमिट होने के उपरांत माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय के आदेशानुसार विचारण हेतु इस न्यायालय को प्राप्त हुआ। आरोपीगण टिल्लू उर्फ पिल्लू नीलेश उर्फ बलवीर एवं संजय उर्फ संजू के 03. विरूद्ध धारा प्रथम दृष्टिया धारा धारा 147, 325(दो काउंट) बिकल्प में 325 / 149(दो काउंट), 323(दो काउंट) बिकल्प में 323 / 149(दो काउंट), 435, 506बी भा द वि के आरोप के संबंध में किया जा रहा है। जबकि आरोपी सतेन्द्र सिंह का विचारण धारा 354(ख), 435, 147, 325(दो काउंट) बिकल्प में 325 / 149(दो काउंट), 323(दो काउंट) बिकल्प में 323 / 149(दो काउंट) एवं धारा 506 भाग-2 भा0दं0वि0 का अरोप पाया जाने से आरोप लगाकर पढकर सुनाया समझाया गया। आरोपीगण ने जुर्म अस्वीकार किया उनकी प्ली लेखबद्ध की गई।

- 04. दं.प्र.सं. के प्रावधानों के अनुसार अभियुक्त परीक्षण किया गया। अभियुक्त परीक्षण में अभियुक्तगण ने स्वयं को निर्दोष होना बताते हुए झूठा फंसाया जाना अभिकथित किया है।
- 05. आरोपीगण के विरूद्ध विचारित किए जा रहे अपराध के संबंध में विचारणीय यह है कि:—

- 1. क्या आरोपी सतेन्द्र के द्वारा 20.03.2014 के शाम 06:30 बे या उसके करीब ग्राम छरेंटा थाना एण्डोरी में फूलिसंह के कुँए के पास खेत में पीडिता जो कि नावालिंग स्त्री है उसकी लज्जा शीलता भंग करने के आशय से आपराधिक बल का प्रयोग किया?
- 2. क्या आरोपीगण के द्वारा उपरोक्त दिनांक समय स्थान पर सहआरोपीगण के साथ मिलकर विधि विरूद्ध जमाव का गठन किया जिसका सामान्य उद्देश्य पांचो बाई, शीला, रामजीलाल, माखन पर वल व हिंसा का प्रयोग करने का था जिसके अग्रसरण में वल व हिंसा का प्रयोग कर बलवा कारित किया?
- 3. क्या आरोपीगण के द्वारा उपरोक्त दिनांक समय स्थान पर आहत रामजीलाल, माखन को मारपीट कर स्वेच्छया गंभीर उपहति कारित?

बिकल्प में

क्या आरोपीगण के द्वारा उपरांक्त दिनांक समय व स्थान पर सहआरोपीगण के साथ मिलकर आहत रामजीलाल एवं माखन को मारपीट करने का सामान्य आशय निर्मित किया जिसके अग्रसरण में उक्त आहतों की मारपीट कर स्वेच्छया गंभीर उपहित कारित की?

4. क्या आरोपीगण के द्वारा उपरोक्त दिनांक समय स्थान पर आहत पांचो बाई, शीला को मरपीट कर स्वेच्छया साधारण उपहति कारित की?

बिकल्प में

क्या आरोपीगण के द्वारा अन्य सहआरोपीगण के साथ मिलकर आहत पांचो बाई एवं शीला को मारपीट करने का सामान्य आशय निर्मित किया और उसके अग्ररण में कार्य करते हुए आहत पांचोबाई और शीला की मारपीट कर स्वेच्छया साधारण उपहित कारित की?

- 5. क्या आरोपीगण के द्वारा उपरोक्त दिनांक समय स्थान पर पीडित विजयसिंह के छप्पर जो कि सम्पत्ति की रक्षा हेतु उपयोग में लिया जाता है उसमें आग लगाकर रिष्टि कारित की?
- 6. क्या आरोपीगण के द्वारा उपरोक्त दिनांक समय व स्थान पर फरियादी / आहतगण को संत्राश कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्राश कारित किया?

-: सकारण निष्कर्षः

बिन्दु क्रमांक 1 लगायत ६-

- 06. साक्ष्य की पुनरावृत्ति एवं सुगमता को देखते हुए सभी विचारणीय बिन्दुओं का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।
- 07. अभियोजन प्रकरण के संबंध में अभियोजन साक्षी अखलेश अ0सा0 2 के द्वारा यह बताया गया है कि वह घटना दिनांक को शाम के 06:00 06:30 बजे अपने घर पर खाना खा रहा था। रेनू और मिथलेश जो कि उसकी भाभी लगती हैं वह लेट्रिन करने के लिए गई थी और लौटकर आ रही थी, रास्ते में 2—3 लडके मोटरसाइकिल से आए और उनके साथ अश्लील हरकत की थी। उनके चिल्लाने पर की आवाज सुनकर वह घटनास्थल पर पहुँचा तो वह लोग मोटरसाइकिल छोडकर भाग गए थे। कुछ देर बाद बडी गाडी लेकर कुछ आए थे और झगडा हुआ था, उस समय वह नहीं था। उसने घटना की रिपोर्ट लिखाई थी। उक्त साक्षी को अभियोजन के द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रकार के प्रश्न पूछे गए है।
- 08. अभियोजन के अन्य साक्षी शीला बाई अ0सा0 3, पांचों बाई अ0सा0 4, रामजीलाल अ0सा0 1 एवं माखन अ0सा0 5 जो कि घटना के आहत साक्षी है एवं साक्षी मिथलेश अ0सा0 11 के कथन एवं आहत साक्षीगण के कथनों में भी कहीं भी आरोपीगण या किसी आरोप के घटनास्थल पर मौजूदगी या उनके द्वारा कोई घटना कारित किये जाने के संबंध में कोई साक्ष्य नहीं आयी है जिससे कि आरोपीगण को दोषसिद्ध टहराया जा सके।
- 09. अभियोजन साक्षी पीडिता अ०सा० 6 जिसके संबंध में आरोपी सतेन्द्र के विरूद्ध उसकी लज्जा शीलता भंग करने के आशय से आपराधिक वल प्रयोग करने का आक्षेप है। उक्त साक्षिया के द्वारा भी अभियोजन प्रकरण का कोई भी समर्थन नहीं किया गया है और न ही किसी आरोपी की घटनास्थल पर मौजूदगी व उनके द्वारा उसके साथ कोई कृत्य किये जाने के संबंध में नहीं बता गया है।
- 10. घटना दिनांक को विजयसिंह के छप्पर में आग लगाकर रिष्टि कारित किये जाने के संबंध में बताया गया है। साक्षी विजयसिंह अ०सा० ७ के द्वारा भी इस संबंध में अभियोजन प्रकरण का कोई समर्थन नहीं किया है। घटनास्थल पर आरोपीगण या आरोपी की उपस्थित होने के संबंध में कोई तथ्य उसकी साक्ष्य में नहीं आया है। इस प्रकार उक्त साक्षी के कथनों से आरोपीगण के विरूद्ध घटना में संलग्न होने के संबंध में कोई साक्ष्य होनी नहीं मानी जा सकती है।

- चिकित्सक डॉक्टर आलोक शर्मा अ०सा० ८ जिन्होंने कि आहत रामजी, 11. माखनसिंह व आहत पांचोबाई व शीला का चिकित्सीय परीक्षण किया गया है। उक्त साक्षी के कथनों में यद्यपि उक्त आहतों के शरीर पर चोटें पाई जाने के संबंध में बताया गया है, किन्तु मात्र इस आधार पर कि आहतों के शरीर पर चोटें पाए जाने के संबंध में डॉक्टर के द्वारा बताया गया है, किन्तु मात्र इस आधार पर कि आहतों के शरीर पर कोई चोटें पाई गई है इससे आरोपीगण के अपराध में संलग्न होने एवं उन्हें दोषसिद्ध ठहराए जाने के संबंध में कोई साक्ष्य नहीं हो सकता है।
- अभियोजन की ओर से प्रस्तुत अन्य साक्षी मंगलसिंह अ०सा० १, सुरेन्द्र सिंह 12. अ०सा० 10 के कथनों के आधार पर भी आरोपीगण के घटना में संलग्न होने एवं उनके दोषसिद्ध ठहराए जाने हेतु कोई साक्ष्य विद्यमान होनी नहीं मानी जा सकती है।
- अभियोजन साक्षी एम.एल.डोंगर अ०सा० 12 जो कि विवेचना से संबंधित साक्षी 13. है एवं जिनके द्वारा कि प्रकरण की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध करना एवं विवेचना की कार्यवाही करना बताया है। उक्त साक्षी के कथनों के आधार पर भी आरोपीगण या किसी आरोपी के घटना में संलग्न होने अथवा उसे दोषसिद्ध टहराए जाने हेत् कोई साक्ष्य विद्यमान होनी नहीं मानी जा सकती है।
- विचारोपरात अभियोजन प्रकरण में आरोपीगण टिल्लू उर्फ पिल्लू नीलेश उर्फ 14. बलवीर एवं संजय उर्फ संजू एवं सतेन्द्र को दोषसिद्ध ठहराए जाने लायक कोई साक्ष्य विद्यमान न होने से आरोपीगण को धारा 147, 325(दो काउंट) बिकल्प में 325 / 149(दो काउंट), 323(दो काउंट) बिकल्प में 323 / 149(दो काउंट), 435, 506बी भा.दं.वि. के आरोप से एवं आरोपी सतेन्द्र को उक्त धाराओं के आरोप के अतिरिक्त धारा 354(ख) भा.द.वि के आरोप से भी दोषमुक्त किया जाता है।

आदेश खुले न्यायालय में दिनांकित हस्ताक्षरित एवं पारित किया गया।

मेरे निर्देशन पर टाईप किया गया

्डांoसीoथपलियाल) अपर सत्र न्यायाधीश गोहद, जिला भिण्ड

(डी0सी0थपलियाल) अपर सत्र न्यायाधीश गोहद, जिला भिण्ड